न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-144Jodhpur2022-88 Pannalal Vs Smt. Jasoda etc
2022-148Jodhpur2022-89 Smt. Jasoda Vs Smt. Jamanadevi etc

श्री पन्नालाल सोलंकी पुत्र श्री अणदाराम जी जाति माली, निवासी- पुरानी भाकरी बास, सूरसागर, जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमती जसोदा पत्नी श्री युधिष्ठरसिंह सांखला जाति माली, निवासी- सांखलो का बास, विधाशाला चांदपोल जोधपुर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

01. श्रीमती जमनादेवी पत्नी स्व. श्री भगवानसिंह
02. श्री सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री भगवानसिंह
03. श्री राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री भगवानसिंह
04. श्री महेन्द्र पुत्र स्व. श्री भगवानसिंह
05. श्री राकेश पुत्र स्व. श्री भगवानसिंह
06. श्री महेश पुत्र स्व. श्री भगवानसिंह
    सभी जातियान् माली, निवासीगण- पुरानी भाकरी बास, सूरसागर, जोधपुर।
07. श्रीमती लीला पुत्री स्व. भगवानसिंह पत्नी प्रभूलाल जी जाति माली, निवासी- रूपावतो का बास, सूरसागर, जोधपुर।
08. श्रीमती ओमा पुत्री स्व. अणदाराम जी पत्नी स्व. श्री रणजीतसिंह कच्छवाह जाति माली, निवासी- सुभाष चौक उपरली गली सूरसागर, जोधपुर।
09. श्रीमती जतन पत्नी दिनेश सोलंकी, जाति माली, निवासी- कालीबेरी के आगे, रूपावतो का बेरा के आगे खेड़ीया बेरा, मणाई रोड़ सूरसागर, जोधपुर।
10. जितेन्द्र कुमार गहलोत पुत्र मूलसिंह जाति माली, निवासी- नई भाकरी बास सूरसागर, जोधपुर।
11. श्रीमती उषा उर्फ पिन्टु पत्नी महावीर कच्छवाह, जाति माली, निवासी- कालीबेरी के आगे रूपावतो का बेरा, सूरसागर, जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12. श्रीमती मंजू पत्नी राकेश जाति माली, निवासी- झलेची झालरा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने विधाशाला चांदपोल, जोधपुर।
13. श्रीमती ललिता उर्फ गुड्डी पत्नी जगदीश देवड़ा जाति माली, निवासी- सूरसागर, बाई पास रोड़ गेवा जोधपुर।
14. श्रीमती नैनू पत्नी लक्ष्मण जी सांखला, जाति माली, निवासी- चांदपोल के अंदर चौका जोधपुर।
15. श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व. गोपाल जी परिहार, जाति माली, निवासी- चांदपोल के अन्दर चौका जोधपुर।
16. श्रीमती अरुणा पत्नी ओमप्रकाश गहलोत पुत्री स्व. अणदाराम जी जाति माली, निवासी- कालीबेरी सूरसागर, जोधपुर।
17. हिम्मत सिंह पुत्र श्री माणकजी परिहार, जाति माली, निवासी- कालीबेरी सोढों की ढाणी सूरसागर जोधपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 212/2021 श्रीमती जसोदा बनाम जमना इत्यादि

उपस्थित-

श्री हरिसिंह कच्छावाह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री राधेश्याम लोहिया, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1
श्री राजेश राठी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 15
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 18

(2)2022-148Jodhpur2022-89 Smt. Jasoda Vs Smt. Jamanadevi etc

श्रीमती जसोदा पत्नी श्री युधिष्ठरसिंह सांखला जाति माली, निवासी- सांखलो का बास, विधाशाला चांदपोल जोधपुर।

ब

ना

म

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

01. श्रीमती जमनादेवी पत्नी स्व. श्री भगवानसिंह
02. श्री सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री भगवानसिंह
03. श्री राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री भगवानसिंह
04. श्री महेन्द्र पुत्र स्व. श्री भगवानसिंह
05. श्री रांकेश पुत्र स्व. श्री भगवानसिंह
06. श्री महेश पुत्र स्व. श्री भगवानसिंह
सभी जातियान् माली, निवासीगण- पुरानी भाकरी बास, सूरसागर, जोधपुर।
07. श्रीमती लीला पुत्री स्व. भगवानसिंह पत्नी प्रभूलाल जी जाति माली, निवासी- रूपावतो का बास, सूरसागर, जोधपुर।
08. श्री पन्नालाल सोलंकी पुत्र श्री अणदाराम जी जाति माली, निवासी- पुरानी भाकरी बास, सूरसागर, जोधपुर।
09. श्रीमती ओमा पुत्री स्व. अणदाराम जी पत्नी स्व. श्री रणजीतसिंह कच्छवाह जाति माली, निवासी- सुभाष चौक उपरली गली सूरसागर, जोधपुर।
10. श्रीमती जतन पत्नी दिनेश सोलंकी, जाति माली, निवासी- कालीबेरी के आगे, रूपावतो का बेरा के आगे खेड़ीया बेरा, मणाई रोड़ सूरसागर, जोधपुर।
11. जितेन्द्र कुमार गहलोत पुत्र मूलसिंह जाति माली, निवासी- नई भाकरी बास सूरसागर, जोधपुर।
12. श्रीमती उषा उर्फ पिन्टु पत्नी महावीर कच्छवाह, जाति माली, निवासी- कालीबेरी के आगे रूपावतो का बेरा, सूरसागर, जोधपुर।
13. श्रीमती मंजू पत्नी राकेश जाति माली, निवासी- झलेची झालरा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने विधाशाला चांदपोल, जोधपुर।
14. श्रीमती ललिता उर्फ गुड्डी पत्नी जगदीश देवड़ा जाति माली, निवासी- सूरसागर, बाई पास रोड़ गेवा जोधपुर।
15. श्रीमती नैनू पत्नी लक्ष्मण जी सांखला, जाति माली, निवासी- चांदपोल के अंदर चौका जोधपुर।
16. श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व. गोपाल जी परिहार, जाति माली, निवासी- चांदपोल के अन्दर चौका जोधपुर।
17. श्रीमती अरूणा पत्नी ओमप्रकाश गहलोत पुत्री स्व. अणदाराम जी जाति माली, निवासी- कालीबेरी सूरसागर, जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18. हिम्मत सिंह पुत्र श्री माणकजी परिहार, जाति माली, निवासी- कालीबेरी सोढों की ढाणी सूरसागर जोधपुर।

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 212/2021 श्रीमती जसोदा बनाम जमना इत्यादि

उपस्थित-

श्री राधेश्याम लोहिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री, हरिसिंह कच्छावाह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 8
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 19

नि र्ण य

दिनांक : 21 दिसंबर 2022

दोनो अपील पत्रावली के अपीलाण्ट पन्नालाल एवं श्रीमती जसोदा ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 212/2021 श्रीमती जसोदा बनाम जमना इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत क्रमश दिनांक 12 अप्रैल 2022 एवं दिनांक 26 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है।

दोनो अपीले समान पक्षकार, समान विषय-वस्तु एवं एक ही अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध होने से उभय पक्षकारान् के अधिवक्तागणागण की सहमति से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में सलंग्न रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीनी जसोदा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 199 से 205 एवं 207 कुल रकबा 10 बीघा 07 बीघा भूमि ग्राम गेंवा तहसील जोधपुर के संबंध में पेश किया। वादीनी ने वाद के साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि मूल वाद के निस्तारण तक 1/8 हिस्से का बेचान हस्तांतरण न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे व 1/8 हिस्से तक कोई निर्माण कार्य नहीं करावे, जिससे व्यथित होकर अपील संख्या 88/2022 अपीलांट पन्नालाल ने एवं अपील संख्या 89/2022 प्रार्थीनी/अपीलार्थीनी श्रीमती जसोदा ने प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स (अपील संख्या 88/2022) ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रार्थीनी के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के विरूद्ध एतराज प्रारम्भिक रूप से पेश किये गये थे, लेकिन उक्त एतराज के बाबत किसी प्रकार का कोई विश्लेषण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है। वादीनी द्वारा वाद बाबत बंटवाड़ा, घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। वादीनी का नाम जमाबंदी में नही होने से वाद वैकसिस की श्रेणी में आता है, क्योंकि वादीनी के द्वारा सहदायिकी की सम्पति के लिए किसी प्रकार का वाद पेश नहीं किया गया है तथा न ही स्वयं को सहदायिकी की सदस्या होना माना है। वाद के संपूर्ण पठन से यह प्रमाणित होता है कि वादीनी की पुश्तैनी सम्पति के लिए वाद पेश किया गया है, जबकि वादीनी के द्वारा अपने वाद पत्र के साथ सलंग्न जमाबंदी मे जो जायदाद बताई गई है, वह किसी प्रकार से पुश्तैनी नहीं है। वादीनी द्वारा बताई गई जायदाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का बंटवाड़ा किया जा चुका है तथा वर्तमान में किसी प्रकार की पुश्तैनी जायदाद शेष नहीं होने के कारण वादीनी का वाद मात्र इसी आधार पर चलने योग्य नहीं है, क्योंकि स्वयं वादीनी के अभिवचनो के अनुसार जायदाद पुश्तैनी है, जबकि जायदाद का बंटवाड़ा हो जाने से जायदाद स्व अर्जित जायदाद की श्रेणी में है तथा वादी के द्वारा बंटवाड़ा जो कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया गया है, जिसे किसी प्रकार से चुनौती सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नहीं दी गई है, क्योकि बंटवाड़ा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किया जा चुका है तो उसी बंटवाड़े को पुनः किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी नहीं होने से वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण वादीनी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। उक्त जायदाद बखतावरी देवी तथा अणदाराम जी की जायदाद पूर्व में रही थी, लेकिन प्रथमतः तो वादीनी अणदाराम जी की पुत्री ही नहीं है तो वाद पेश करने का अधिकार ही नहीं है। वादीनी द्वारा स्व. अणदाराम जी की पुत्री होने के संबंध में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। इसके बावजूद भी इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि का कानूनन बंटवाड़ा हो जाने से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या दो से छः की स्व अर्जित भूमि बन चुकी है। वादग्रस्त भूमि पर न तो वादीनी का कब्जा काश्त है तथा न ही किसी प्रकार की उसके द्वारा काश्त की जा रही है। इसलिए प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अणदाराम जी के सभी वारिसान् द्वारा मौखिक सहमति से बंटवाड़ा कर लिया गया है तथा विरासत नामांतरकरण भी वारिसान् के पक्ष में भरा जा चुका है। अणदाराम जी की पुत्रियों का विवाह मायरा इत्यादि प्रतिवादी संख्या एक से आठ द्वारा किये गये है, जिसके कारण अणदाराम जी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पुत्रीयों के द्वारा अपने हिस्से को चल सम्पति के रूप में प्राप्त कर लिया गया है, जिसके कारण ही अणदाराम जी की सभी पुत्रियों द्वारा अपने हक-हिस्से को कभी भी नहीं मांगा गया है तथा अपने हिस्से को त्याग कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीनी के पक्ष में 1/8 हिस्से के लिए स्थगन आदेश जारी किया गया है, जबकि वादी अणदाराम जी की पुत्री ही नहीं है तथा न ही रेकर्डेड खातेदार है तथा न ही प्रार्थीनी के पास विवादित भूमि का कब्जा काश्त है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। वादीनी द्वारा मात्र तंग व परेशान करने के आशय से वाद पेश किया गया है तथा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील संख्या 88/2022 स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 को निरस्त किया जावे एवं अपील संख्या 89/2022 तथा प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 कर खारिज फरमाया जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक (अपीलांट अपील संख्या 89/2022) ने निवेदन किया कि प्रार्थीनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावे के निस्तारण तक संपूर्ण वादग्रस्त भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा केवल 1/8 हिस्से तक ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। वादीनी स्व. अणदाराम की पुत्री होने तथा वादग्रस्त भूमि वादीनी की पुश्तैनी भूमि होने से उसका जन्मजात हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण द्वारा दावे के विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि का <u>बेचान/हस्तांतरण</u> किया जा रहा है। इसलिए संपूर्ण वादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया जाना निहायत ही जरूरी है। अंत में वकील रेस्पोडेंट संख्या एक(अपीलांट अपील संख्या 89/2022) ने निवेदन किया कि अपील संख्या 89/2022 स्वीकार फरमायी जावे एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 को अपास्त किया जाकर दावे के निस्तारण तक संपूर्ण वादग्रस्त भूमि ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 199, 199/1, 200, 200/1, 201, 201/1, 202, 203, 203/1, 204, 205, 207 एवं 207/1 के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश फरमावे तथा अपील संख्या 88/2022 को खारिज फरमाया जावे। अपील संख्या 89/2022 में वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में एस.सी.सी.2019(7) पेज 193, ए.आई.आर.2014 ओड़िसा पेज 74, सी.सी.एल.(3) पेज 358(H.P.) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं. 32601/2018 में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2020 की न्यायिक नजीरे पेश की।

रेस्पोडेंट संख्या दो से पन्द्रह के अधिवक्ता (अपील संख्या 88/2022) ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का समर्थन किया तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 एवं प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादीनी जसोदा द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पुश्तैनी भूमि होना बताते हुए वाद पेश किया जाना पाया जाता है। प्रार्थीया स्व. अणदाराम की पुत्री होने अथवा नहीं होने तथा वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी भूमि है अथवा नही, इन बिंदुओं का विनिश्चयन मूल वाद में जवाब प्रस्तुत होने के बाद तनकीयात कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की जाकर पक्षकारान् की साक्ष्य सुनवाई के बाद तय होना है। हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर वादग्रस्त भूमि के पुश्तैनी होने अथवा नहीं होने बाबत किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया द्वारा स्व. अणदाराम की पुत्री होने होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्से बाबत अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि के सर्वमान्य सिद्धांत एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनो बिंदुओ प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में मानते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 199, 199/1, 200, 200/1, 201, 201/1, 202, 203, 203/1, 204, 205, 207 एवं 207/1 बाबत मूल दावे निस्तारण तक 1/8 हिस्से का बेचान/हस्तांतरण नहीं करने तथा उक्त हिस्से तक निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थीया के 1/8 हिस्से को संरक्षित किया गया है, इसलिए प्रार्थीया संपूर्ण भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही ठहरती है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। जो नजीरे प्रस्तुत की गई है, वे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन पुश्तैनी भूमि में हक-हकूक से संबंधित है। अदालत हाजा इन नजीरो का पूर्ण सम्मान करती है, किंतु, चूंकि वर्तमान अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने अथवा नहीं होने और वादीनी वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व खातेदार की पुत्री होने के संबंध में कोई निष्कर्ष पारित नही किया जा रहा है। अतः इस स्तर प्रस्तुत नजीरे लागू नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप समस्त विवेचन के आधार पर दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकारी जोधपुर दक्षिण द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 212/2021 श्रीमती जसोदा बनाम जमना इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर